बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0सं0 :–2/अ०प्र०–1–01/24 4728 /पटना, दिनांक :– 29.4.25

1. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत कार्य प्रमंडल जमुई के अधीन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन पथ "अमीन खैरा पथ से ढ़ाब" की अधीक्षण अभियंता, शोध एवं विकास की अध्यक्षता में गठित जॉच दल द्वारा दिनांक–31.12.2023 को की गई निरीक्षण में पथ का कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये जाने तथा पथ के अलग–अलग चैनेजों पर SDBC कार्य का एकत्र Sample की क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग, पटना के जॉचफल में पथ के तीन पथांश यथा Ch-0.000km, 0.210km एवं Ch-2.450km पर बिटुमेन की मात्रा प्रावधानित मात्रा से कम पाये जाने संबंधी आरोपों पर श्री ठाकुर पवन सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई से विभागीय पत्रांक–31 दिनांक–04.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक–05.01.2024 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकारयोग्य पाये जाने के फलस्वरूप श्री सिंह के विरूद्ध इस मामले में अग्रतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0 918 दिनांक 03.04.2024 द्वारा निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया का कार्यालय निर्धारित किया गया।

3. श्री सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प सं0 1440 दिनांक 29.05.2024 द्वारा श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 20 अनु0 दिनांक 31.01.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है। उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

5. इस बीच ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निलंबन की समीक्षा हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 13888 दिनांक 21.07.2023 एवं आदेश सं0 21590 दिनांक 23.11.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2025 को बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में श्री ठाकुर पवन सिंह के संबंध में निम्न अनुशंसा की गई है–

"श्री ठाकुर पवन सिंह का निलंबन अवधि लगभग एक वर्ष पूर्ण हो गया है एवं विभागीय कार्यवाही का अंतिम रूप से निष्पादन होने में विलम्ब होने की संभावना है।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 107 दिनांक 06.11.1993 के अनुसार लंबी अवधि से निलंबन के फलस्वरूप सरकारी लोक सेवकों को आर्थिक कठिनाईयों का समाना करना पड़ता है एवं निलंबन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता देने के चलते सरकार को भी आर्थिक बोझ उठानी पड़ती है।

उल्लेखनीय है कि इसी मामले में संबधित कनीय अभियंता श्री प्रकाश चन्द्र बादल, जिनका योजना के पर्यवेक्षण का दायित्व अनुपातिक रूप से अधिक है, को निलंबन से मुक्त किया जा चुका है।

अतः इस आलोक में श्री ठाकुर पवन सिंह को कार्यहित में निलंबन से मुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी।"

6. समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

7. अतः उक्त के आलोक में श्री ठाकुर पवन सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के उपरान्त श्री सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।

8. श्री सिंह के निलंबन अवधि के विनियमन पर निर्णय उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29/4/25

(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–01/24 4729 /पटना, दिनांकः– 29.4.25

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, प० चम्पारण/जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4/25

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–01/24 4729 /पटना/दिनांकः– 29.4.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/ विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/श्री ठाकुर पवन सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति मुख्यालय–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–01/24 4729 /पटना/दिनांक:– 29.4.25

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29/4/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–01/24 4729 /पटना/दिनांक:– 29.4.25

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/4/25

अवर सचिव

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.ir